ISSN - 2231-1130
वर्ष–सप्तम् ; सितम्बर–2016

जनजातियों पर भूमण्डलीय बाजार का प्रभाव

डॉ0 सैयद हसन रजा रिज़वी*

जनजाति का तात्पर्य मनुष्यों के ऐसे वर्ग अथवा समूह से है जिनकी पहचान उनके रीति–रिवाज, संस्कृति, रहन–सहन तथा परम्परागत व्यवसाय से है। यह एक ऐसा वर्ग है जो मनुष्य की आदिकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, इसी कारण हम इसे आदिवासी, असभ्य, आदिम तथा वान्य जाति से भी सम्बोधित करते हैं। घुरिये ने जनजाति को ''पिछड़े हिन्दू नाम से सम्बोधित किया है।'' जनजातियाँ भारतीय समाज व संस्कृति को विभिन्न संस्कृतियों का रूप प्रदान करती हैं। भारत में 532 जनजातियाँ निवास करती हैं, जो भारतीय जनसंख्या का लगभग 8.2 प्रतिशत भाग है। यह जनजातियाँ किसी एक निश्चित भौगोलिक भू–भाग पर निवास करती हैं जिनकी अपनी परम्परागत व्यवस्था होती है और किसी आदि पूर्वज से अपना उद्‌गम मानती हैं। प्रत्येक जनजाति की अलग–अलग एवं सामान्य संस्कृति होती है जो आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से दूर रहती है। ये समूह सामान्यतः जंगलों तथा पहाड़ों पर निवास करते हैं, अर्न्तविवाही होते हैं, प्रत्येक जनजाति की अलग भाषा तथा समाज के नियम होते हैं और आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए और व्यवसायिक रूप से खेती और अपनी संस्कृति के व्यवसाय से सम्बन्धित होते हैं। ये आपस में संगठित होते हैं और इनमें रूढ़िवादिता और प्रथाओं से बंधे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। डी0एन0 मजूमदार के अनुसार ''एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूह का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक ही भू–क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं और विवाह वृत्ति या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा उनके परस्पर आदान प्रदान एवं दायित्वों की पारस्पारिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित हो गई है।'' आक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार "जनजाति' विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकार करते हैं और

* एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शिया पीजी कालेज, लखनऊ।

साधारणतयः अपना एक समाज पूर्वज मानते हैं'', डी0एन0 मजूमदार ने जनजातियों की पहचान के सम्बन्ध में कहा है कि ''प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित नाम होता है जैसे सन्थाल, गारो, खासी तथा थारू आदि ये किसी गोत्र अथवा टोटम द्वारा एक परिवार या एक समूह के सदस्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। एक निश्चित भू–भाग एक जनजाति को परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण अंग है जिनके सदस्यों की भाषा एक ही होती है। इनमें व्यवसाय, विवाह और पेशे के सम्बन्ध में परम्परागत निषेध पाये जाते हैं और ये समूह के एक दूसरे सदस्य के साथ परम्परागत आधार पर लेन–देन और पारस्परिक दायित्वों के बन्धन में बंधे रहते हैं।

प्रत्येक जनजाति में राजनीतिक संगठन पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य वहाँ की पंचायतें करती हैं। इनमें युवा गृह जैसी संस्थायें पाई जाती है तथा लड़कों एवं लड़कियों में स्कूली शिक्षा का अभाव देखा गया है। जनसंख्या के आधार पर ये जनजातियाँ छोटी तथा बड़ी होती हैं गोंड, मुण्डा, भील तथा सन्थाल जनजातियाँ जनसंख्या के आधार पर बड़ी तथा ओंग और टोटो जैसी जनजातियाँ जनसंख्या के आधार पर बहुत छोटी हैं। विवाह हेतु जीवन साथी चुनने हेतु इनमें अनेक प्रथायें प्रचलित हैं। धार्मिक दृष्टि से ये धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं एवं जादू टोने की दृष्टि से भी प्रत्येक जनजाति अपना अलग स्थान रखती है कुछ जनजातियों में टोटमवाद प्रचलित है और इनमें धार्मिक निषेध जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। जनजातियाँ वनों से खाद्य संग्रह एवं शिकार पर आज भी निर्भर हैं। कुछ जनजातियाँ पशुपालन एवं चारागाही हैं कुछ जनजातियाँ झूम खेती और स्थानीय खेती कर रही हैं और इन पर औद्योगीकरण और भूमण्डलीकरण के प्रभावों को भी देखा जा रहा है। इनमें सांस्कृतिक विरासत पाई जाने वाली लोक कलाओं और हस्तकलाओं से भी उनकी पहचान बनाये हुए है। इस आधुनिक और भूमण्डलीय युग में यह देखा जा रहा है कि इन प्रक्रियाओं के आकर्षण के कारण जनजातियों संस्कृतिग्रहण की प्रक्रिया से गुजर रही है और हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में एक पृथक जाति के रूप में स्थापित हो रही है।

वैश्वीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएँ एक दूसरे के साथ एक बंधन के रूप में बंधी हुई है, जिससे लगातार निरन्तरता व आपसी एकीकरण बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था सांचायुक्त अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत क्षैतिज तथा लम्बवत दो स्तरों पर एक साथ दिखाई दे रही है। वैश्वीकरण का आधार सार्वभौमिकरण है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व एक ग्राम अथवा समुदाय के रूप में देखा जा रहा है। परन्तु इसका उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये व्यवस्था कैसी होगी व इसे चलाने वाला कौन होगा?

अपने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक आयामों सहित वैश्वीकरण आज के युग में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ज्वलनशील विषय के रूप में उभरकर सामने आया है। ब्लैकमैने ने 'Discovery of Sociology' के अन्तर्गत कहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक, राजनीतिक जीवन तथा व्यवसायिक क्षेत्र से लेकर संगीत, वेशभूषा एवं जनसंचार के क्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक गति से प्रभावित हुआ है।

वैश्वीकरण के अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक प्रतिबन्धों की आवश्यकता का विश्लेषण करते हुए समीर अमीन जो कि वैश्वीकरण एवं तीसरी दुनिया के देशों के प्रति उसके सम्बन्ध मे विचार प्रकट करने वाले एक महत्वपूर्ण एवं चर्चित व्यक्ति है। इनके अनुसार–पूँजीवादी व्यवस्थाओं का वैश्वीकरण कोई नया तत्व नहीं है बल्कि आधुनिक समय में गुणात्मक दृष्टि से इसने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और साथ ही अनेक राष्ट्रों के बीच गहराती निर्भरता इस समय दिखाई दे रही है। इसके साथ–साथ इसने संचय की समस्या को अत्यधिक गंभीर रूप प्रदान किया है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण की क्षमता को किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जो विश्व व्यापार के सम्बन्ध में है के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा एक बहुआयामी शब्द है जो किसी देश की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षमता को जो

एकाधिकार विस्तृत होने से सम्बन्धित कहा जाता है। 'समीर अमीन' ने वास्तुकार के एकाधिकारों का वर्णन निम्न प्रकार किया है:–

1. प्रौद्योगिक अधिकार
2. आर्थिक विश्व विस्तृत व्यापार का अधिकार।
3. विशिष्ट देशों में प्राप्त कच्चे माल को उपलब्ध कराने का अधिकार।
4. संचार माध्यम एवं यातायात साधनों पर अधिकार।
5. जनहत्या के शसस्त्रों पर एकाधिकार।

'समीन अमीन' ने एक मानवीय योजना का वैश्वीकरण के लिए सुझाव दिया है जिसका मत है कि सम्पूर्ण विश्व के लिए एक राजनैतिक व्यवस्था का सूत्रपात होना चाहिए जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार के लिए सम्बन्ध उपलब्ध कराना हो।

Wallestien ने वैश्वीकरण जैसी व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा कि इसके अन्तर्गत तीन राज्य होंगे:–

1. **नाभिकीय राज्य**– इसके अन्तर्गत अमेरिका तथा जापान को माना गया है।
2. **अर्ध परिधिय राज्य**– एशिया, यूरोप तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया।
3. **परिधीय राज्य**– एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका।

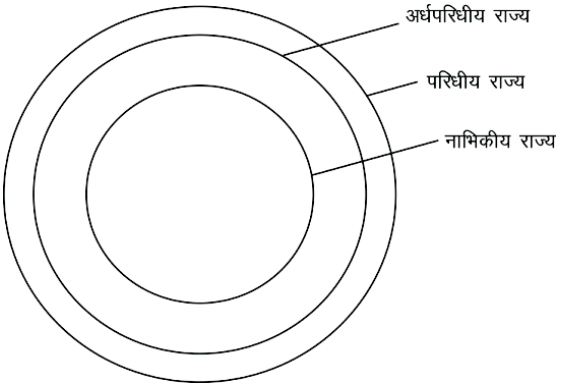

वाल्सटीन द्वारा दी गई व्यवस्था से स्वाभाविक है कि प्रथम कोटि के

राज्य लाभान्वित होंगे और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में वस्तुतः एक प्रकार का निगमीकरण होगा जिसके अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां परिधीय राज्य का शोषण करेंगी। यह प्रक्रिया संभवतः शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में उन्ही राज्यों की राज्य सत्ता उनकी सरंक्षक होगी जिसका दबाव परिधीय राज्य सत्ताओं पर होगा, यही कारण है कि विकसित राज्यों ने अपने उत्पादन का संपूर्ण विश्व में प्रचार कर अपने को और अधिक विकसित किया है तथा अपनी पूंजी को बढ़ाया है। इस प्रक्रिया के कारण विकासशील देश अपने उत्पादन का विश्व की व्यापार मण्डी में प्रभाव दिखाने में असमर्थ हो रहे हैं और इनकी पूँजी में कमी आ रही है। इस प्रकार का शोषण इन विकासशील राज्यों में गरीबी तथा बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों की विकास दर रूकी हुई दिखाई दे रही है और ये विकसित राष्ट्रों के उत्पादन पर आश्रित दिखाई दे रहे हैं।

भूमण्डलीय बाजार एक ओर तो आर्थिक सुधारों जैसे विदेशी व्यापार का उदारीकरण, घरेलू बाजारो का उदारीकरण व उन्हें खोल दिया जाना, प्रत्यक्ष तथा विदेशी वस्तुओं का आपात निर्यात उनका खुली बजारो में आना अपनी तथा विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात बढ़ाना आदि, परन्तु इन सबका मनुष्य के आर्थिक तथा सामाजिक देशों पर पड़ रहा है बाजार में मानव अपने देश की वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं की ओर भाग रहा है। आधुनिकीकरण औधोगीकरण और भूमण्डलीकरण के प्रभावों से जनजातियाँ भी प्रभावित हुई है इनके प्रभावों से वनो का क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है वनो पर जनजातियों का जीवन आश्रित है वे अपने जीवन यापन हेतु वनों में शिकार करके, खाद्यान्न संग्रह करके तथा खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते है परन्तु आज वे बहुत से कारखानों तथा औद्योगिक केन्द्रों पर मजदूरी कर रहे है जिससे उनको आर्थिक दृष्टि से तो हानि पहुँची है इसके साथ–साथ उनकी स्वतन्त्रता को भी नुकसान पहुँच रहा है वे अब स्वतन्त्र नहीं है बल्कि दास बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रत्येक जनजाति की संस्कृति अलग–अलग होती है परन्तु इस युग में वे परसंस्कृतिग्रहण का

शिकार हो रहे हैं। जनजातियों की लोक कलाएं एवं हस्त कलाएं उनकी सांस्कृतिक विरासत है, कुछ जनजातियां कुटीर उद्योगों द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर रही है। टोकरी बनाना, चटाई बनाना, कपड़ा बुनना, लोहारी करना, बाँस की सुन्दर वस्तुएं बनाना इसके अतिरिक्त नृत्य तथा कलाबाजी दिखाना साँप नचाना आदि उनकी लोक कलाओं को परिभाषित करता है यही सब इनके आर्थिक स्तर को दर्शाते है।

भूमण्डलीय बाजार से इनके उत्पादन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है इनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को साहूकार निम्न मूल्यों पर क्रय करता है और उसके विनियम में इन्हें आधुनिक वस्तुओं को अधिक दाम पर देकर इनका शोषण करता है। इनकी गरीबी और शोषण के जो कारण हैं वे इनसे झूम खेती में उपयोग होने वाली भूमिका छीना जाना, इनकी हस्तकला को आधुनिक वस्तुओं के आकर्षण द्वारा निम्न स्तर पर पहुँचाना, मजदूरी करना, ऋणग्रस्त की समस्या, भूमिपृथकता की समस्या, व्यापारियों, साहूकारो तथा जमीदारों द्वारा उनको दास बनाकर उनका शोषण करना, वनो के लिए नए कानूनो की स्थापना करना तथा अशिक्षित होना आदि।

जनजातियों पर भूमण्डलीकरण और भूमण्डलीय बाजार का प्रभाव देखने को मिलता है जो उनके आकर्षण का कारण है वे अपनी संस्कृति विरासत के साथ साथ बाहरी संस्कृति से भी आकृषित है और अनेक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे है। जिससे वे दो संस्कृतियों के बीच अपना जीवन व्यतीत करते देखे जा रहे है ये जीवन शैली उनको विरासत में मिली संस्कृति की प्रथाओं, परम्पराओ, मान्यताओं तथा रूढ़ियों को क्षति पहुंचा रही है।

सन्दर्भ –

1. हसनैन, नदीम – समकालीन भारतीय समाज –भारत बुक सेन्टर लखनऊ–2004
2. महाजन, धर्मवीर तथा महाजन, कमलेश, विवेक प्रकाशन दिल्ली–2016।
3. दुबे, एस.सी. ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

4. घुर्ये, जी.एस. कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, बॉम्बे।
5. मजूमदार, डी. एन, रेस एण्ड कल्चर इन इंडिया, युनिवर्सल पब्लिर्शस, लखनऊ।
6. हसनैन, नदीम, ट्राइबल इंडिया, पालका प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. रॉयवर्मन, बी.के., ट्राइब्स इन पर्ससेक्टिव, मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
8. राव, वी.कृष्णन, ग्लोब लाइजेशन ऑफ ट्राइवल, इकोनॉमी।